148/c (44) (41

रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99 | भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA | REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 180] दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 17, 2008/कार्तिक 26, 1930 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 235
No. 180] DELHI, MONDAY, NOVEMBER 17, 2008/KARTIKA 26, 1930 [N.C.T.D. No. 235

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 17 नवम्बर, 2008

फा. सं. 4/4/2007/श.वि./21234.—न.दि.न.पा. परिषद् द्वारा शीर्ष 'ख' के अन्तर्गत जल आपूर्ति, जल निकासी एवं कूड़ा संग्रहण से संबंधित उप-विधियाँ नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम 44) की धारा 193 की उप-धारा (4), (7) और (8) के साथ पढ़ते हुये धारा 388 की उप-धारा (1) में वर्णित अनुसार परिषद् की प्रस्ताव संख्या 11(ए-29) दिनांक 22 अगस्त, 2007 के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 391 के अन्तर्गत अपेक्षित अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के पूर्व अनुमोदन से न.दि.न.पा. परिषद् (नलसाजों को लाइसेंस जारी करना एवं नियंत्रण) उपनियम के नाम से बनाये गये निम्नलिखित उप-विधियाँ एतद्द्वारा सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किये जाते हैं :—

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भन :—

(1) इन उप-विधियों को "नई दिल्ली नगर पालिका (नलसाजों को लाइसेंस जारी करना एवं नियंत्रण) उप-विधियाँ-2008" कहा जायेगा ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशित किये जाने की तिथि से लागू होंगे ।

2. परिभाषाएं :—(1) इन उप-नियमों में जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "अधिनियम" से तात्पर्य नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम 44) से है;

(ख) "सक्षम प्राधिकारी" से तात्पर्य किसी ऐसे पालिका अधिकारी या पालिका कर्मचारी से है, जिसे अध्यक्ष के आदेश द्वारा इन उप-विधियों के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व सौंपा (प्रभारित) गया है ।

(ग) 'प्रपत्र' से तात्पर्य इन उप-विधियों के साथ संलग्न प्रपत्र से है ।